

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक: 19/चार-2-2/08

दिनांक: 22.05.2025

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा आदेश क्रमांक बी/3017/तीन-18-188/76 जबलपुर दिनांक 21.05.2025 के माध्यम से पूर्व में जिला स्थापना एवं कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत ऐसे कर्मचारीगण जिनका वेतनमान छठवें वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड-पे रुपये 3600/- एवं उससे अधिक है, ऐसे कर्मचारीगण को 01 सप्ताह के स्थान पर 02 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं रुपये 3600/- ग्रेड-पे से कम वेतनमान प्राप्त करने वाले समस्त कर्मचारीगण को (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को छोड़कर) एक सप्ताह के स्थान पर 10 दिवस का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश क्रमांक बी/2957 जबलपुर दिनांक 17.05.2025 को **तत्काल प्रभाव से वापिस** लिया जाकर ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में पूर्ववत् रजिस्ट्री झापन क्रमांक बी/3358 जबलपुर दिनांक 05.07.2018 प्रभावशील रखा जाना उल्लेखित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेश क्रमांक बी/3017 जबलपुर दिनांक 21.05.2025 के अनुक्रम में कार्यालयीन झापन क्रमांक 1157 दतिया दिनांक 19.05.2025 के पालन में तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण की ओर से प्राप्त **नवीन ग्रीष्मकालीन अवकाश आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाकर**, इस न्यायिक स्थापना पर पदस्थ समस्त पात्र तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण का पूर्व में ग्रीष्मकालीन विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने संबंधी जारी **कार्यालयीन आदेश क्रमांक 16 दिनांक 16.05.2025 यथावत् रखा जाता है।**

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

पृष्ठंकन क्र. 173/चार-2-2/08

दिनांक: 22.05.2025

प्रतिलिपि:

1. समस्त न्यायाधीशगण/समस्त प्रभारी अधिकारीगण दतिया/सेवदा/भाण्डेर की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग दतिया/सेवदा/भाण्डेर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला नाजिर/नायब नाजिर के माध्यम से समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को उक्त आदेश के संबंध में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग दतिया की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जेएसए दतिया के माध्यम से उक्त आदेश की प्रति जिला न्यायालय दतिया की वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।


for-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)